हुक्म की तामील में जारी हुए

3/11/2020 पेश हुआ [illegible] प्रतिवादी [illegible] नोटिस [illegible] को पेश हो। 11/11/2020

अधिकारी, लोहावट

11/11/20 पत्रावली पेश. उपअपीलांट अधिवक्ता जसवन्त सिंह उप. रेस्पोडेन्ट डी और से अधिवक्ता भंवरलाल ने वकालातनामा पेश किया रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने की सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस सुनी गई अपील स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा गया जो शामिल मिसल किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार अधिकारी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर लोहावट

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः—03/2020

अपीलान्टः— तहसीलदार ओसियां।

बनाम

रेस्पोन्ट्सः—

1. ओमाराम पुत्र श्री बुधाराम, जाति भील, निवासी प्रतापनगर, ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री भंवरलाल, जाति माहेश्वरी निवासी चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

उपस्थित —

अपीलान्ट — अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान।

रेस्पोडेन्ट्स—अधिवक्ता श्री भंवरलाल सैन।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 02.01.2009 व नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 02.12.2011 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा स्वीकृत किये गये।

—::निर्णयः:—

दिनांकः—11/11/2020

अपीलान्ट द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखी है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि— ग्राम प्रतापनगर में खसरा नम्बर 622/7/14 रकबा 01 बीघा के खातेदार आदुराम पुत्र मुलाराम जाति भील द्वारा 12 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये बेचान नामा पंजीयन दिनांक 12.12.2008 को ओमाराम पुत्र बुधाराम जाति भील को कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 02.01.2009 को स्वीकृत किया गया। उक्त भूमि का खातेदार ओमाराम द्वारा श्रीमति कमलादेवी पत्नी भंवरलाल को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा बेचान किया गया जिसका बेचान नामा दिनांक

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

18.01.2011 को पंजीबद्ध है जिसका नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 02.12.2011 को स्वीकृत किया गया। किरणकंवर वगैरा द्वारा न्यायालय श्री वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जोधपुर में कमलादेवी वगैरा के विरूद्ध उपरोक्त दोनों बेचान नामा दस्तावेजों को निरस्त करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसके वाद संख्या 03/2020 है। न्यायालय श्री वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जोधपुर द्वारा उक्त वाद में दिनांक 07.09.2020 को निर्णय पारित करते हुए उक्त दोनों बेचान नामों को निरस्त कर दिया गया। इसलिए उक्त दोनों बेचान नामों के आधार पर दर्ज किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 02.01.2009 व 684 दिनांक 02.12.2011 व अन्य कोई राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई प्रविष्ठियां को खारिज करवाने हेतु यह अपील श्रीमान् के सक्षम प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 02.01.2009 व नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 02.12.2011 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा स्वीकृत किये गये, को निरस्त किये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता भंवरलाल सैन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने व नामान्तरकरण में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि की पूर्व की स्थिति बहाल करने पर सहमति जाहिर की।

बहस पक्षकारान सुनी गई, अपील अपीलान्ट की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय श्री वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जोधपुर द्वारा वाद संख्या 03/2020 के निर्णय दिनांक 07.09.2020 में खातेदार आदुराम पुत्र मुलाराम द्वारा ओमाराम पुत्र बुधाराम को किये गये बेचान का बेचान नामा दिनांक 12.12.2008 व ओमाराम द्वारा श्रीमति कमलादेवी पत्नी भंवरलाल को बेचान के दिनांक 18.01.2011 को निष्पादित बेचाननामा को खारिज कर दिया था। इसलिए

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

उक्त बेचान नामों के आधार पर दर्ज अपीलाधीन नामान्तरण खारिज किये जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जानी उचित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 02.01.2009 व नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 02.12.2011 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा स्वीकृत किये गये, को आपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त नामान्तरकरणों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में की गई अन्य प्रविष्ठियां को निरस्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जावें। पालना बाबत् तहसीलदार ओसियां को पत्र जारी हो।

सहायक कलेक्टर ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 11/11/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner